संख्या- 36/2026/301/छप्पन-2026-31/2016(Stage-2A)टी.सी.-1

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2026

विषय: नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 417/ना0उ0नि0-2026-ए.एफ.-116/2016 दिनांक 12 जनवरी, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-242/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/2025/गौतमबुद्धनगर दिनांक 30.01.2026 के क्रम में नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कुल अनुमानित प्रतिकर की धनराशि रू0 86,91,19,05,033/- (रूपए छियासी अरब इक्यानवे करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार तैंतीस) में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार देय धनराशि रू0 32,59,19,64,387/- (रूपए बत्तीस अरब उनसठ करोड़ उन्नीस लाख चौसठ हजार तीन सौ सत्तासी मात्र) में से अब तक अवमुक्त धनराशि रू0 30,22,99,50,000/- को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 2,36,20,14,387/- (रूपए दो अरब छत्तीस करोड़ बीस लाख चौदह हजार तीन सौ सत्तासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु प्रदान करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-36/2025/394/छप्पन-2025-31/2016(Stage-2A) टी0सी0-1 दिनांक 26 मार्च, 2025 द्वारा नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए 14 ग्रामों (ग्राम थोरा, नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबांस, पारोही, मुकीमपुर शिवारा, जेवर बांगर, साबौता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरौली, दयानतपुर, बंकापुर व रोही) की 1888.9088 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु कुल अनुमानित प्रतिकर की धनराशि रू0 86,91,19,05,033/- पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 32,59,19,64,387/- के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि रू0 13,15,68,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु प्रदान की गयी है; शासनादेश संख्या-100/2025/1372/छप्पन-2025-31/2016(Stage-2A)टी.सी.-1 दिनांक 21.11.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि के अनुसार रू0 14,99,81,50,000/- की वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-14/2026-32/छप्पन-2026-31/2016(Stage-2A)टी.सी.-1 दिनांक 09.02.2026 द्वारा रू0 2,07,50,00,000/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरोक्तानुसार, नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/ फेज-3) के लिए 14 ग्रामों की 1888.9088 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% की धनराशि रू0 32,59,19,64,387/- के सापेक्ष कुल रू0 30,22,99,50,000/- की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

3- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 3116/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/ नो0अ0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर दिनांक 28 अगस्त, 2025 द्वारा नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/ फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए 14 ग्रामों (ग्राम थोरा, नीमका शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर, बनवारीबांस, पारोही, मुकीमपुर शिवारा, जेवर बांगर, साबौता मुस्तफाबाद, अहमदपुर चौरौली, दयानतपुर, बंकापुर व रोही) की 1857.8871 हैक्टेयर निजी भूमि की ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' की धारा-19(1) के अन्तर्गत अधिसूचना शासन द्वारा निर्गत कराए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में अधिसूचना संख्या 91/2025/1381/छप्पन-2025-31/2016(Stage-2ए) दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 निर्गत की गई है। इस प्रकार भूमि के क्षेत्रफल 1888.9088 - 1857.8871 = 31.0217 हैक्टेयर की कमी हो गई है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कुल अनुमानित प्रतिकर की धनराशि रू0 86,91,19,05,033/- (रूपए छियासी अरब इक्यानवे करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार तैंतीस) में से NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार देय धनराशि रू0 32,59,19,64,387/- (रूपए बत्तीस अरब उनसठ करोड़ उन्नीस लाख चौसठ हजार तीन सौ सत्तासी मात्र) में से अब तक अवमुक्त धनराशि रू0 30,22,99,50,000/- को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 2,36,20,14,387/- (रूपए दो अरब छत्तीस करोड़ बीस लाख चौदह हजार तीन सौ सत्तासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय की अनुमति सहित कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन NIAL में राज्य सरकार एवं प्राधिकरणों की अंश धारिता के अनुसार यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा उनके लिए निर्धारित अंश सुसंगत वित्तीय वर्षों में उपलब्ध करा दिया गया है।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए 14 ग्रामों की 1888.9088 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु कुल अनुमानित प्रतिकर की धनराशि रू0 86,91,19,05,033/- (रूपए छियासी अरब इक्यानवे करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार तैंतीस मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों यथा- नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध कराई जाएगी।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,36,20,14,387/- (रूपए दो अरब छत्तीस करोड़ बीस लाख चौदह हजार तीन सौ सत्तासी मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जाएगी। कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

6- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-288-X-2025-26 दिनांक 25 मार्च, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 36/2026/301(1)/छप्पन-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भगत प्रकरण में अनुमानित प्रतिकर की धनराशि रू0 86,91,19,05,033/- (रूपए छियासी अरब इक्यानवे करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार तैंतीस मात्र) में से NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

7- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर को उनके उक्त पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2026 के सन्दर्भ में।

8- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.

10- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।